

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खैरवाड़ा
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन मामलों के संग्रह अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान बायरी

—:आदेश:—

खता प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बायरी व भूअ.नि.
की रिपोर्ट तथा खैरवाड़ा तहसीलदार खैरवाड़ा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बायरी तहसील खैरवाड़ा जिला
उदयपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 में खाता संख्या 223 में वर्तमान में दर्ज
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>बायरी</u>	<u>223</u>	<u>श्री लाल कृष्ण श्रीमान् डांगी</u>	<u>श्री लाल कृष्ण श्रीमान् डांगी</u>

खैरवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
(खैरवाड़ा जिला) उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, _____

क्रमांक :- 2021/695

दिनांक :- 08/12/2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, खैरवाड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री श्री लाल कृष्ण श्रीमान् डांगी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

खैरवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
(खैरवाड़ा जिला) उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, _____

खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र

(रा0भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सहोदय,

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।

संदर्भ:-

विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम वायडी की जमाबन्दी संवत् 2075-78

खाता संख्या 223 में मेरा नाम गणु पुत्र भीमा दर्ज है जबकि मेरे पदचान संबंधी दस्तावेजों में नाम गणुलाल पुत्र भीमा दर्ज है अतः मेरा नाम संशोधन किया जाए ।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावे ।

गणुलाल
ह0प्राथी

दिनांक :-

रिपोर्ट पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक:-

महोदयजी, निवेदन है कि राजस्व ग्राम-वायडी की जमाबन्दी संवत् 2075-78 की खाता सं 223 में आतेदार का नाम गणु पुत्र भीमा दर्ज है जबकि इनके पदचान संबंधी दस्तावेजों में नाम गणुलाल पुत्र भीमा दर्ज है अतः उक्त आते में नाम संशोधन कर गणु पुत्र भीमा के बजाय गणुलाल पुत्र भीमा किया जाना उचित है

Dinesh
11/12/21
ILR बड़वा

गणुलाल
9/11/21
जि. उदयपुर (राज.)

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार:-

भू-अ.नि व पटवारी रिपोर्ट के आधार पर राजस्व ग्राम वायडी की जमाबन्दी संवत् 2075-78 की खाता 223 के आतेदार गणु पुत्र भीमा के बजाय गणुलाल पुत्र भीमा करने की अनुरोध की जाती है

गणुलाल
तहसीलदार-खेरवाड़ा
जिला-उदयपुर

:: आदेश ::

तहसीलदार खेरवाड़ा की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व ग्राम वायडी की खाता 223 में गणु पुत्र भीमा के बजाय गणुलाल पुत्र भीमा करने की स्वीकृति दी जाती है

गणुलाल
उपखण्ड अधिकारी
खेरवाड़ा जिला उदयपुर (राज.)